



उत्तराखण्ड शासन



सूचना का अधिकार
अधिनियम 2005
की धारा 4 के अन्तर्गत
मैनुअल (1 से 17 तक)
कृषि निदेशालय,
उत्तराखण्ड,
देहरादून ।

वर्ष: 2020-21

Email ID- dir.agri.uttarakhand@gmail.com
Phone No.-0135-2772676

—:: प्राकथन ::—

- 1— सरकारी विभागों के सम्बन्ध में अब तक सूचनायें गुप्त रखी जाती थी, ये नियम ब्रिटिश शासन काल से बने हुए थे। जनता सूचना से वंचित रहती थी। इस बावत संविधान संशोधन द्वारा जनता को सूचना का अधिकार देकर बहुत पुराने समय से बने सरकारी नियमों को बदला गया तथा जन सूचना अधिकार अधिनियम से 2005 से जनता को लाभ होने की आशा है।
- 2— इस हस्त पुस्तिका का उद्देश्य है कि प्रत्येक कार्यालय से सम्बन्धित विभिन्न विषयों की जानकारी को एक निर्देशिका में समेटा जायेगा। जिससे सम्बन्धित सूचनायें जनता को उपलब्ध कराने में बड़ी सहायता मिलेगी।
- 3— यह निर्देशिका समस्त जनता/जन प्रतिनिधि/कार्यालय/मण्डलीय कार्यालय/निदेशालय/मुख्य विकास अधिकारी/जिलाधिकारी स्तर पर सूचनायें मांगी जाने पर तत्काल सूचना उपलब्ध कराने में सहयोगी और उपयोगी होगी।
- 4— हस्त पुस्तिका के प्रारूप में प्रदेश स्तर पर कृषि विभाग के कार्यालय द्वारा संचालित कार्यक्रमों को सूचीबद्ध किया जा रहा है।
- 5— परिभाषायें/शब्दावली के विषय में जानकारी विभिन्न अवसरों पर सूचना अधिकारी अधिनियम 2005 के लागू होने के बाद समय के साथ-साथ प्राप्त होती जायेगी। क्योंकि किसी नई चीज के लागू होने पर शुरुआत में कुछ कठिनाइया आती हैं और समय आगे बढ़ने पर परिभाषायें और शब्दावली स्वतः स्पष्ट होती जायेगी।
- 6— हस्त पुस्तिका में समायोजित विषयों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी के लिए सम्पर्क व्यक्ति का नाम—श्री संजय कुमार नेगी, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी, कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के स्तर की सूचना के सम्बन्ध में।
- 7— हस्त पुस्तिका में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने की विधि एवं शुल्क इस सम्बन्ध में शुल्क निर्धारण 10.00 रूपया प्रति सूचना निर्धारित प्रपत्र पर जमा कर मांगा जा सकता है। तथा अतिरिक्त सूचना प्राप्त करने विषयक जानकारी मा0 सूचना आयोग स्तर से प्राप्त होने पर सूचना निर्देशिका में समायोजित की जायेगी।

मैनुअल-01

अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य-

- 2.1:- लोक प्राधिकरण/संगठन के उद्देश्य:- कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त कृषकों को अनुमन्य अनुदान पर यथा- बीज, रसायन कृषि यंत्र आदि उपलब्ध कराना तथा साल भर खरीफ तथा रबी में विभिन्न फसलों की जानकारी देना, कृषकों को कृषि सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण कराना तथा नई कृषि तकनीकी की जानकारी उपलब्ध कराना ही मुख्य उद्देश्य है।
- 2.2:- लोक प्राधिकरण/संगठन का मिशन/विजन:- प्रदेश स्तर पर कृषि कार्य में कृषकों को बीज वितरण, उन्नत कृषि तकनीक उपलब्ध कराकर कृषि क्षेत्र में प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाना संगठन का मिशन है तथा भारत के महामहिम राष्ट्रपति डा० कलाम, के अनुसार सन् 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र के रूप में देखने का जो विजन है, उसी विजन को हकीकत में तब्दील करने को कृषि विभाग द्वारा सन् 2020 तक कृषि उत्पादन में आत्म निर्भर बनाना तथा उपलब्ध कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए उत्पादकता बढ़ाना तथा जनपद को जैविक प्रदेश बनाने का विजन है।
- 2.3:- लोक प्राधिकरण/संगठन के कर्तव्य:- शासन/विभाग द्वारा जारी आदेशों के अनुसार प्रदेश में कृषि कार्यक्रमों को संचालित कर जनता और कृषकों की सहायता करना, उनको महत्वपूर्ण वैज्ञानिक खेती की जानकारी देना, सरकारी कार्यक्रमों का जनता/कृषकों में प्रचार-प्रसार करना संगठन का मुख्य कर्तव्य है। साथ ही साथ कृषि विभाग में कार्यरत कर्मचारियों के हितों की देखभाल करना तथा उनका उत्साह बढ़ाना तथा उनके देयकों का भुगतान करना भी संगठन का कर्तव्य है।
- 2.4:- लोक प्राधिकरण/संगठन के मुख्य कृत्य:- केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनान्तर्गत सरकार /विभाग द्वारा प्राप्त बजट पर संचालित विभिन्न कार्यक्रमों जैसे, कृषि यंत्रीकरण, बायोकम्पोस्टिंग कार्यक्रम, जल संभरण, कृषक महोत्सव, बीज ग्राम योजना के अन्तर्गत प्रमाणित तथा आधारीय खरीफ/रबी/जायद के बीजों का वितरण आतमा योजनान्तर्गत कृषकों को प्रशिक्षण, भ्रमण, प्रदर्शन, कृषक पुरस्कार कार्यक्रम, जिला योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में मृदा परीक्षण, मिनिक्विट वितरण आदि कर कृषकों के सहयोग से इन कार्यक्रमों को सफल बनाना मुख्य कृत्य हैं।

2.5:- लोक प्राधिकरण/संगठन द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची तथा उनका संक्षिप्त विवरण:- कृषि विभाग द्वारा जनपद में कृषकों को विभिन्न प्रकार की सेवाये प्रदान की जा रही है।

जनसामान्य हेतु संचालित योजनाओं का विवरण-

| | | |
|------------------------------|---|-------------------------------------|
| विभाग का नाम | - | कृषि विभाग, उत्तराखण्ड। |
| विभाग की वेबसाईट | - | www.agriculture.uk.gov.in |
| अ- केन्द्रपोषित योजना | | |
| क्र०स० | जनसामान्य हेतु विभाग द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण | योजना से सम्बन्धित वेबसाईट का विवरण |
| 1 | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन | www.nfsm.gov.in |
| 2 | राष्ट्रीय सम्पोषणीय कृषि मिशन- वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम | www.nmsa.dac.gov.in |
| 3 | राष्ट्रीय सम्पोषणीय कृषि मिशन- मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरण | www.soilhealth.dac.gov.in |
| 4 | परम्परागत कृषि विकास योजना | www.pgsindia-ncof.gov |
| 5 | प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना | www.pmkys.gov.in |
| 6 | प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना | www.pmfby.gov.in |
| 7 | राष्ट्रीय कृषि विकास योजना | www.rkvy.nic.in |
| 8 | NMAET | |
| 9 | सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन | www.agrimachinery.nic.in |
| 10 | प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि | www.pmkisan.gov.in |
| 11 | प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना | www.pmkmy.gov.in |
| 12 | सबमिशन ऑन सीड एण्ड प्लांटिंग मैटेरियल | www.seednet.gov.im |
| ब- राज्यपोषित योजना | | |
| 1 | अनुसूचित जाति- जनजाति बाहुल्य ग्राम मे कृषि विकास कार्यक्रम | www.agriculture.uk.gov.in |
| 2 | मुख्य मंत्री कृषि विकास योजना | www.agriculture.uk.gov.in |
| 3 | IMA Village | www.agriculture.uk.gov.in |

2.6:- लोक प्राधिकरण/संगठन के गठन का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग:- उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अधीन 9 नवम्बर 2000 से उत्तराखण्ड राज्य के अस्तित्व में आने के साथ ही साथ उत्तराखण्ड कृषि विभाग का पुनर्गठन उत्तराखण्ड की अधिसूचना संख्या-956/दिनांक-02.08.2003 से हुआ। इसके उपरान्त उत्तराखण्ड शासन कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-481/XIII-1/2010-3(08)/2006 दिनांक 28 मई, 2010 की अधिसूचना के अनुसार कृषि विभाग को सिंगल विण्डो सिस्टम के रूप में पुनर्गठित किया गया।

2.7:- लोक प्राधिकरण संगठन के विभिन्न स्तरों पर संगठन का ढाँचा:-

1- प्रदेश स्तर-

1- निदेशक

2- वित्त नियन्त्रक

3- अपर कृषि निदेशक

4- संयुक्त कृषि निदेशक

क- संयुक्त कृषि निदेशक (नियोजन/अनुश्रवण)

ख- संयुक्त कृषि निदेशक (जैविक)

ग- संयुक्त कृषि निदेशक (गुणवत्ता नियन्त्रण)

घ- संयुक्त कृषि निदेशक (सांख्यिकी)

5- उप कृषि निदेशक

क- उप कृषि निदेशक (मानव संसाधन एवं प्रशिक्षण)

ख- उप कृषि निदेशक (तकनीकी सम्प्रेक्षण)

ग- उप कृषि निदेशक (विपणन)

घ- उप कृषि निदेशक (सांख्यिकी)

2- मण्डल स्तर-

1- अपर कृषि निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी

2- संयुक्त कृषि निदेशक, कुमायूं मण्डल हल्द्वानी।

3- जिला स्तर पर:- (13)

1- मुख्य कृषि अधिकारी

2- कृषि रक्षा अधिकारी।

-केन्द्र प्रभारी राजकीय भूमि संरक्षण प्रशिक्षण केन्द्र पौड़ी/मजखाली

-सहायक निदेशक क्षेत्रीय मृदा परीक्षण प्रयोगशाला रुद्रपुर

-सहायक निदेशक(प्रदर्शन), सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं प्रदर्शन केन्द्र, हल्द्वानी नैनीताल

| | |
|-------------------------------|---|
| 4- इकाई स्तर पर:-(35) | 1- कृषि एवं भूमि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी |
| 5- ब्लॉक स्तर पर:-(95) | 1- सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-1 (विकासखण्ड प्रभारी) 2- सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2 (बीज भण्डार प्रभारी) |
| 6- न्याय पंचायत स्तर पर-(670) | 1- सहायक कृषि अधिकारी, वर्ग-2 (न्याय पंचायत प्रभारी) |

2.8:- लोक प्राधिकरण/संगठन की कार्यदक्षता बढ़ाने हेतु जनसहयोग की अपेक्षाएँ :- कृषि विभाग प्रदेश स्तर पर शासन/विभाग द्वारा संचालित कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन में जन सहयोग की अपेक्षा करता है। क्योंकि बिना जन सहयोग के कोई भी कार्यक्रम सफल होना असम्भव है। और जन सहयोग के आभाव में कार्यक्रमों की गुणवत्ता संदेहास्पद रहने की संभावना है।

2.9:- जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिए विधि और व्यवस्था:- प्रदेश स्तर पर जनसहयोग प्राप्त करने के लिए मण्डलीय/जनपदीय अधिकारियों के माध्यम से प्रतिवर्ष रबी, खरीफ प्रारम्भ होने पर जिला स्तरीय गोष्ठियाँ आयोजित की जाती हैं। जिसमें प्रदेश के समस्त कृषकों से भाग लेने की अपेक्षा की जाती है।

2.10:- जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निस्तारण की व्यवस्था:- जनता से शिकायतें प्राप्त होने के लिए प्रदेश स्तर एवं मण्डल स्तर तथा जनपद स्तर कृषि एवं भूमि संरक्षण इकाई एवं विकासखण्ड स्तर पर भी कृषकों की शिकायतें प्राप्त की जाती हैं तथा उनके निराकरण के लिए सम्बन्धित कर्मचारियों को तैनात किया जाता है। वर्तमान में मोबाईल/मुख्यमंत्री हेल्पलाइन/जनपद हेल्प लाइन पर विभिन्न इलैक्ट्रॉनिक माध्यम से भी शिकायतें प्राप्त होने पर उनका ऑनलाइन ही निराकरण किया जाता है।